

केनरा बैंक

प्रधान कार्यालय, बेंगलूर

एकस्तरीय बोली प्रणाली

के तहत

परिसर को किराए पर देने के लिए

प्रस्तुत दस्तावेज

द्वारा जारी

परिसर एवं सम्पदा अनुभाग

अंचल कार्यालय

17-18, सेक्टर-12,

करनाल 132001

टेलीफोन: 0184 - 2250814

फैक्स न. 0184 - 2205245

ई-मेल: pecokar@canarabank.com

एकस्तरीय बोली प्रणाली के तहत चीका (जिला कैथल), कोसली(जिला रेवाडी), कलांवली (जिला: सिरसा) में किराए पर परिसर लेने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज आमंत्रित है।

प्रस्तावित दस्तावेज निम्नलिखित है। :

- (i) प्रस्ताव आमंत्रित सूचना
- (ii) प्रस्तावकर्ताओं को निर्देश
- (iii) नियम एवं शर्तें
- (iv) कार्पेट एरिया परिभाषा
- (v) स्ट्रांग रूम विनिर्देश

प्रस्ताव परिसर को किराये पर लेने हेतु ऑफर आमंत्रित सूचना

केनरा बैंक
परिसर एव सम्पदा अनुभाग
अंचल कार्यालय,
17-18, सेक्टर-12,
करनाल 132001

दूरभाष सं : 0184 -2250814
फैक्स : 0184-2205245
ई- मेल : pecokar@canarabank.com

केनरा बैंक का व्यक्ति/ फर्म से पट्टे / किराये के आधार पर वाणिज्यिक परिसर लेने का प्रयोजन है एकस्तरीय बोली प्रणाली के तहत ऑफर आमंत्रित करते हैं जिसका विवरण निम्न हैं।

1. आवश्यकताएँ

क्रम स.	स्थान	श्रेणी	परिसर का क्षेत्र (कारपेट के आधार पर)	टिप्पणियाँ
1.	चीका (जिला कैथल)	अर्ध – शहरी	700 - 800 वर्गफुट (65-75 वर्गमीटर)	क.) पूरा क्षेत्र एक ही तल में हो और ग्राउंड फ्लोर में हो तो उस परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी । ख.) बैंक के विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावक द्वारा परिसर में स्ट्रांग रूम 150-200 वर्ग फूट के नाप में बनाया जाना है । ग.) आवश्यक पावर लोड 18 किलोवाट होना है (आवश्यकतानुसार)
2.	कोसली (जिला रेवाड़ी)	ग्रामीण	1000 -1200 वर्गफुट (93-112 वर्गमीटर)	क.) पूरा क्षेत्र एक ही तल में हो और ग्राउंड फ्लोर में हो तो उस परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी । ख.) बैंक के विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावक द्वारा परिसर में स्ट्रांग रूम 150-200 वर्ग फूट के नाप में बनाया जाना है । ग.) आवश्यक पावर लोड 18 किलोवाट होना है (आवश्यकतानुसार)

3.	कलावली (जिला: सिरसा)	अर्ध - शहरी	1400 -1700 वर्गफुट (130 -160 वर्गमीटर)	क.) पूरा क्षेत्र एक ही तल में हो और ग्राउंड फ्लोर में हो तो उस परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी । ख.) बैंक के विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावक द्वारा परिसर में स्ट्रांग रूम 150-200 वर्ग फूट के नाप में बनाया जाना है । ग.) आवश्यक पावर लोड 18 किलोवाट होना है (आवश्यकतानुसार)
----	----------------------------	----------------	---	--

- भावी प्रस्तावकर्ताओं से अनुरोध है कि उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रस्तावित दस्तावेज उपरोक्त कार्यालय पते से प्राप्त कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. www.canarabank.com.
- प्रस्ताव विधिवतरूप से भरा हुआ हो (और उसके उपर) एक सील बन्द लिफाफे में “परिसर को किराये पर लेने हेतु प्रस्ताव” लिखा होना चाहिए (जिस स्थान के लिए प्रस्ताव दिया गया है उस स्थान, क्षेत्र का उल्लेख करें) उपरोक्त पते पर दिनांक:11.12.2017 को दोपहर 3.00 बजे तक परिसर एवं सम्पदा अनुभाग, अंचल कार्यालय में प्रस्ताव जमा करवा सकते हैं। प्रस्तुतकर्ता यदि एक से ज्यादा स्थान के लिए आवेदन जमा करता है तो अलग-अलग स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करें ।
- प्रस्ताव उसी दिन दोपहर 3.30 बजे उपरोक्त कार्यालय में बोली दाताओं के सामने या अधिकृत प्रतिनिधियों (जिनको बोली दाता द्वारा चुना गया) के सामने खोली जाएगी।

दलाल या मध्यस्थ के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । केनरा बैंक बिना किसी कारण बताए किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्ताव को पूर्ण/आंशिक तौर पर स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

हस्ता/

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रस्तावकर्ताओं को निर्देश

1. आमंत्रित प्रस्ताव सूचना, प्रस्तावकर्ताओं को निर्देश, नियम और शर्तें, प्रस्तावित परिसर का, कार्पेट क्षेत्र परिभाषा, स्ट्रांग रूम विनिर्देश प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव में शामिल होगी ।
2. प्रस्ताव पत्र एक सील बंद लिफाफे में अन्य दस्तावेजों के साथ रखा जाए और लिफाफे के ऊपर "केनरा बैंक (स्थान/जगह का नाम) शाखा/ कार्यालय के लिए स्थान किराये पर देने हेतु प्रस्ताव" के रूप में लिखा होना चाहिए एवं प्रस्ताव पत्र निर्धारित समय पर अंतिम तिथि तक या उससे पूर्व प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस में दिए गए पते पर प्रस्तुत किया जाए । **नाम एवं पता प्रस्ताव पत्र पर बिना गलती के उल्लेखित किया जाए ।**
3. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्रस्तुत प्रस्ताव पर डाक देरी या किसी कारण से हुई देरी, की वजह से प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे विलम्ब से प्राप्त हुआ माना जाएगा ।
4. निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की जाएं जिसका विवरण निम्न के रूप में प्रस्तुत किया जाए ।
 - क. तल योजना का एक सेट, अनुभागों , परिसर का बाहरी नक्शा एवं साइट योजना का विवरण हो जैसे कि मुख्य प्रवेश सड़क, दोनों तरफ सड़क, एवं सड़क के किसी भी तरफ की चौड़ाई और आसपास की सम्पत्ति इत्यादि ।
 - ख. जांच के अधिकार की प्रतिलिपि और टाइटल डीड की प्रतियों के साथ अंवेक्षण रिपोर्ट ।
 - ग. सक्षम प्राधिकारी से गैर कृषि प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के रूपांतरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें ।
5. प्रस्ताव दस्तावेज का सभी कॉलम विधिवत भरा होना चाहिए और कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव पत्र के सभी पृष्ठों पर प्रस्तावकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। संयुक्त स्वामित्व के मामले में, सभी संयुक्त मालिकों द्वारा सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी अक्षर के ऊपर दोबारा लिखना या स्फेदी स्याही का उपयोग होने पर प्रस्तावकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए। अधूरा या गलत सूचना के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
6. प्रस्तावित दस्तावेज में स्थान अगर अपर्याप्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावकर्ता को अलग से सीट संलग्न करना है ।
7. प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तावित दस्तावेज में निर्दिष्ट शर्तें / नियमों के अनुपालन स्वरूप होना चाहिए। यद्यपि, विनिर्दिष्ट नियम/ शर्तें के अलावा आपका कोई अन्य मत है तो एक अलग सीट में अलग से प्रस्तुत किया जाए । बैंक बिना कोई कारण बताए आपके किसी मत को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
8. एक से अधिक सम्पत्ति के प्रस्ताव हेतु प्रत्येक सम्पत्ति का अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

9. i) हमारे उपरोक्त कार्यालय में प्रस्तावक की उपस्थिति में प्रस्ताव आमंत्रित सूचना में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्ताव खोले जाएंगे। प्रस्तावक को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है निश्चित तारीख को निर्धारित समय पर पहुंचें।
ii) बैंक द्वारा प्रस्ताविक शॉर्ट लिस्टड प्रस्तावकर्ताओं को सूचित किया जाएगा तथा प्रस्तुत परिसर के स्थान का निरीक्षण किया जाएगा।
iii) साइट का दौरा करने के बाद प्रस्ताव को शार्टलिस्ट/चुनाव किया जाएगा।
10. किसी भी रूप में किया गया प्रचार प्रस्तावक को प्रस्ताव से बाहर कर देगा।
11. प्रस्ताव खोलने की तारीख से "तीन महीने" की न्यूनतम अवधि के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव विचार के लिए खुला रहेगा।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

स्थान:
तिथि:

नियम और शर्तें

1. सम्पत्ति अनुकूल वातावरण के साथ अच्छे वाणिज्यिक स्थान और सार्वजनिक सुविधाओं जैसे बस स्टॉप, बैंक, बाजार अस्पताल स्कूल आदि के निकट स्थित होनी चाहिए।
2. परिसर के अंदर और आसपास के क्षेत्र में किसी भी जगह पानी का जमाव नहीं होना चाहिए।
3. प्रस्तावक बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की जगह उपलब्ध कराए। परिसर के सामने का हिस्सा एवं प्रवेश उचित होना चाहिए।
4. व्यवसाय के लिए तैयार परिसर को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे परिसर के मालिक को बैंक द्वारा अपेक्षित विधिवत् स्ट्रांग रूम और अन्य सिविल/इलेक्ट्रिकल निर्माण को पूरा करके प्रस्ताव की स्वीकृति के दो महीने के भीतर परिसर का अधिकार सौंपना होगा।
5. पुरा प्रस्तावित क्षेत्र एक ही मंजिल पर और बेहतर होगा यदि ग्राउंड फ्लोर पर ही उपलब्ध हो। प्रस्तावित परिसर ग्राउंड फ्लोर+मध्यतल या ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल आदि में विभाजित हो तो इस मामले में दोनों मंजिल एक आंतरिक सीढ़ी से परस्पर जुड़े होनी चाहिए और बैंक के

अनन्य उपयोग के लिए सीढ़ी उपलब्ध होनी चाहिए तथा उसका अधिकार बैंक के पास होना चाहिए ।

6. परिसर विशेषतः फ्रीहोल्ड किया जाएगा । अगर यह पट्टे पर दिया है तो पट्टे की अवधि के बारे में जानकारी पट्टा समझौते की प्रतिलिपि, प्रारंभिक प्रीमियम और आगामी किराया प्रस्तुत किया जाए । उप-पट्टे को मुनासिब प्रमाणित किया जाएगा शीर्षक रिपोर्ट स्वामित्व सिद्ध करेगा और स्पष्ट विक्रेयता संलग्न किया जाना है ।
7. परिसर के लिए पट्टा समझौता मालिक के साथ पूरा किया जाएगा ।
8. 5 साल में दूसरी ब्लॉक के लिए किराए में वृद्धि के साथ पट्टे की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होगी (ग्रामीण/अर्ध शहरी -10% से 15%, शहरी-15% से 20% तक और मेट्रो - 20% से 25%) बैंक से परिसर खाली करवाने के संदर्भ में न्यूनतम नोटिस अवधि 3 महीने होगी ।
9. किराए का भुगतान केवल कार्पेट एरिया के आधार पर किया जाएगा । बैंक के द्वारा परिभाषित कार्पेट क्षेत्र के अनुसार उचित माप के बाद कार्पेट एरिया का निर्धारण किया जाएगा ।
10. मौलिक किराए में वर्तमान और भविष्य के सभी कर/उपकर तथा गृह कर, सम्पत्ति कर और नगर निगम कर को भी किराए में ही शामिल किया जाएगा । रखरखाव शुल्क और सेवा शुल्क जैसे संस्था शुल्क आदि को भी शामिल किया जाएगा । परिसर का अधिकार ग्रहण करने की तिथि से किराए का भुगतान किया जाएगा । मासिक पट्टा किराए के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि प्रस्ताव कर्ता किसी भी प्रकार के करों/शुल्क आदि में वहन करने के लिए सहमत नहीं है तो इसका स्पष्ट रूप से प्रस्ताव में उल्लेख किया जाए ।
11. किराए के भुगतान पर लागू दर के अनुसार सर्विस टैक्स / जी.एस.टी बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।
12. बैंक प्रस्तुत परिसर के अन्दर अपना ऑन- साइट एटीएम स्थापित कर सकता है । एटीएम के लिए अतिरिक्त किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा । दूसरे शब्दों में देय किराया संयोजित शाखा क्षेत्र और एटीएम क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । बैंक के आर्किटेक्ट की रूपरेखा के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के अन्दर एटीएम के निर्माण का खर्च प्रस्तावकर्ता के स्वयं के खर्चों में शामिल होगा ।
13. बैंक के विनिर्देशों के अनुसार प्रस्तावकर्ता स्वयं के खर्च से स्ट्रांग रूम का निर्माण करें (विवरण के लिए कृपया "स्ट्रांग रूम निर्देशों" को देखें)। स्ट्रांग रूम का साइज शाखा के वर्गीकरण पर निर्भर करेगा जैसे/ग्रामीण/ अर्धशहरी / शहरी/ मेट्रो/बैंक के द्वारा नियुक्त सक्षम आर्किटेक्ट इंजीनियर के माध्यम से प्रस्तावकर्ता को अपनी लागत पर स्ट्रांग रूम के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की व्यवस्था करनी होगी । स्ट्रांग रूम के दरवाजे, एयर वेंटीलेटर और एग्जहॉस्ट फैन की आपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी ।

14. प्रस्तावकर्ता स्वतंत्र मीटर के साथ अपने स्वयं के खर्च पर आवश्यक पावर लोड प्रदान करना सुनिश्चित करें। भू-स्वामी द्वारा उर्जा मीटर उपलब्ध कराया जाएगा बैंक के द्वारा केवल उपभोक्ता शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
15. परिसर के लिए आवश्यक क्षमता के साथ भूमिगत टैंक/ ऑवर हैड टैंक और पंप के साथ पर्याप्त और निरंतर पानी की आपूर्ति - प्राथमिकता: नगर निगम के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था हो। नगर निगम के पानी की आपूर्ति नहीं है तो, इस मामले में वैकल्पिक पीने योग्य पानी का स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा, बैंक केवल वास्तविक खपत के शुल्क को वहन करेगा।
16. प्रस्तावकर्ता अपने खर्च पर महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग शौचालय प्रदान करेगा।
17. पट्टे की अवधि के दौरान आवश्यकता के अनुसार परिसर की मरम्मत और रखरखाव का कार्य और बिल्डिंग को किराये योग्य एवं रिसाव प्रूफ/वाटर प्रूफ बनाना भूस्वामी का कार्य होगा। परिसर में पेंट का कार्य 3-5 साल में एक बार किया जाना है।
18. किरायेदारी की अवधि के दौरान यदि बैंक अपनी कीमत पर परिसर में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो प्रस्तावक मौजूदा पट्टा नियम और शर्तों के अनुरूप परमिट करेगा।
19. पंजीकरण और स्टाप इयूटी का शुल्क भूस्वामी और बैंक के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
20. बैंक केवल 03 (तीन) महीने का ब्याज मुक्त अग्रिम किराया जमा का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
21. आवश्यकता पड़ने पर पट्टाकर्ता स्वयं अपने खर्च पर आयकर और सांविधिक मंजूरी प्राप्त करेगा।
22. किराये भुगतान पर मौजूदा दर के अनुसार (टीडीएस) आयकर में कटौती दी जाएगी।
23. प्रस्तावक अपनी कीमत पर उपलब्ध करवाएं।
 - (क) बाहरी प्रवेश के लिए फूल आकार का कॉल्पसिबल (खुलने और बांधने वाला) दरवाजा
 - (ख) आवश्यक लॉकिंग व्यवस्था के साथ बाहरी प्रवेश द्वार के लिए रोलिंग शटर।
 - (ग) सभी खिड़कियों, वेंटिलेटर और इस प्रकार के अन्य खुले स्थान के लिए एम एस गिल्स होनी चाहिए।
 - (घ) भवन का निर्माण प्रासंगिक आई एस कोड के अनुरूप और भूकंपरोधी होगा।
 - (ङ.) बैंक के साइन बोर्ड, वी सैट, डी जी सैट/इन्वर्टर/सौर पैनल के लिए उचित पर्याप्त स्थान की व्यवस्था।
 - (च) ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली सिरेमिक टाइल फर्श और शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में विटरीफाइड फर्श होने चाहिए। 5 फूट सिरेमिक टाइल डेडो के साथ शौचालय में फिसलन रहित सिरेमिक टाइल फर्श होने चाहिए।
 - (छ) सभी सैनिटरी फिटिंग और शौचालय एक्सेसरीज जैसे कमोड,युराइनल, वॉश बेसिन, और नल आदि मानक गुणवत्ता के होने चाहिए।

(ज) बिजली वितरण प्रणाली (भारतीय विद्युत अधिनियम और स्थानीय बिजली बोर्ड के नियमों और विनियमों के अनुरूप) लाइट प्वाइंट, पावर प्वाइंट डिस्ट्रिब्युशन बोर्ड और अच्छी गुणवत्ता वाली अर्थिंग सहित हो।

(स) बैंक के विनर्देशों के अनुसार जहां आवश्यकता हो सुरक्षा के उद्देश्य से अपेक्षित संख्या में पक्का मोर्चा प्रदान किया जाए ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

स्थान:

तिथि:

परिभाषित कार्पेट एरिया

किसी भी मंजिल का कार्पेट क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो इमारत के निम्नलिखित भागों को छोड़कर होगा।

1. प्रसाधन
2. आम बरामदा, मार्ग, गलियारा
3. ऑपन बालकनी
4. कॉमन एंट्रेस हॉल
5. आम या विशेष कार पोर्च
6. आम सीढ़ी और मोम्टी
7. अच्छी तरह से लिफ्ट और शाफ्ट
8. आम गैरेज / पार्किंग जो सभी के लिए आम हो
9. आम कैंटीन क्षेत्र
10. एयर कंडीशनिंग नलिकाएं और आम एसी संयंत्र कमरे
11. पम्प हाउस क्षेत्र
12. दीवारों से अधिकृत स्थान
13. अन्य कोई क्षेत्र जो सभी किराएदारों के लिए आम है ।

मैं / हम उपरोक्त मदों के तहत अंतर्गत क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत हूं और संयुक्त माप के बाद कारपेट क्षेत्र के आधार पर किराया और उचित अग्रिम किराया स्वीकार करने को तैयार हूं ।

स्थान:

दिनांक:

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

SPECIFICATION FOR CONSTRUCTING RCC STRONG ROOM ("B" CLASS)

The specifications for strong room for branches are detailed hereunder:

I. THE SPECIFICATIONS FOR THE STRONG ROOM ARE AS FOLLOWS:

WALLS : R C C 1:2:4 30 cm (12") thick

FLOOR : R C C 1:2:4 15 cm (6") thick

FLOOR:

15 cm (6" thick) heavily reinforced over the existing plain cement concrete flooring for vaults in Ground floors and over existing RCC slabs in vaults in upper floor (the strength of the slab in such case will have to be checked to allow for the additional dead and super imposed load).

CEILING - R C C 1:2:4

30 cm (12" thick). Where it is not feasible to provide a RCC slab as specified, the ceiling may be fortified with MS grills consisting of 20 mm rods spaced 75 mm c/c in angle iron frame work.

Reserve Bank of India has specified ceilings fortification only in cases where it is not feasible to provide RCC slab of specified thickness.

If it is not possible to provide the strong room with the ceiling of prescribed thickness of 30 cms (12") or provide fabrication with MS grills, RBI would be prepared to consider relaxation of the existing specification on merits of individual cases, provided the floor space directly above the strong room is also in the possession and occupation of the Bank.

II. THE MINIMUM REINFORCEMENTS AS ADVISED BY RBI ARE GIVEN BELOW:

WALLS :

12 mm dia mild Steel/tor steel @ 6" c/c both ways and on both faces of the wall (a formation of reinforcement matt of about 6"x 6") on either face of the wall to be obtained.

FLOOR : Same as in the case of walls but only on one face.

CEILINGS: Same as in the case of walls.

Further where reinforcement is proposed on two faces of a RCC member, it shall be staggered in such a manner that any view taken at right angles to the mat formation would show reinforcement at every (3") c/c in elevation (in respect of walls) and in plan (in respect of ceiling slab).

The above reinforcements are only the minimum and depending on the structural requirements, the structural consultants for the work, should design and detail out actual reinforcements required but these shall not be less than what are specified above.

III COLUMN SIZES :

Two columns of 10"x10" size with 6 nos of 12 mm dia TOR Steel main rods and 6 mm dia binder rods are to be done only after fixing the door and ascertaining the plumb line.

IV AIR VENTILATORS	GODREJ	STEELAGE
Overall opening	24"x24"	24"x24"
Clear opening	18"x18"	18"x18"

When the strong room is divided into 2 portions for cash and lockers, two ventilators for both the rooms are to be provided. The Air ventilator/s should not be fixed on the exterior / outer walls.

Signature of the offerer/s

Place:

Date :